

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** (State/Union territory) from **CIVIL LINES (51)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI PRATAP SINGH KHACHARIYAWAS (Name) H.N. M-13, MADRAMPURA COLONY, CIVIL LINES, JAIPUR (Address) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur

Date : 11.12.2018



(ABHILASHA)

Returning officer

(Assistant Collector and Executive Magistrate, Jaipur City-II)
Legislative Assembly Constituency, Civil Lines 51

(अभिलाषा)

रिटर्निंग ऑफिसर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

जयपुर शहर (द्वितीय)

विधानसभा क्षेत्र, सिविल लाईन्स 51

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लडा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य/संघराज्य क्षेत्र) में जयपुर (7) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा का निर्वाचन सिविल लाईन्स (51) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य संघ राज्य क्षेत्र) के विधान सभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, म. नं. एम. 13 मदरामपुरा कॉलोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर, इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त/ राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान जयपुर

तारीख 11.12.2018



(अभिलाषा)

रिटर्निंग ऑफीसर

(सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर द्वितीय)
विधानसभा क्षेत्र, सिविल लाईन्स 51